राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक एफ 89/मा.प्र./LM-07( )/2022/स्टोर जयपुर दिनांक

कोटेशन सूचना

विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ, की कार्यकारी मानक प्रयोगशाला, चांदी की टकसाल, जयपुर के भवन की सफाई हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु सम्पूर्ण क्षेत्र की सफाई, धुलाई, पौछा, टेबल, आलमारी व खिडकियो से डस्ट हटाने आदि कार्य नियमित रूप से करवाये जाने हेतु कोटेशन आमंत्रित किये जाते है। उक्त कार्य की अनुमानित लागत राशि 95000/– रूपये (जीएसटी सहित) वार्षिक होगी। संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा में निर्धारित दरें अंकित कर कोटेशन दिनांक 26.03.2025 को दोपहर 1:00 बजे तक अद्य ोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में बन्द लिफाफे में जमा करा सकते है। कोटेशन दिनांक 26.03.2025 को दोपहर 03:00 बजे खोले जायेगे।

(राकेश सोनी)
उप निदेशक (उ0मा0)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 कार्यालय हाजा/नोटिस बोर्ड।
2 रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (उ0मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Soni
Designation : Deputy Director
Date: 2025.03.22 23:06:57 IST
Reason: Approved

जागो ग्राहक जागो
RajKaj Ref No.: 14225848

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

सफाई निविदा अनुबन्ध की शर्ते

1 यह सफाई अनुबंध की अवधि वित्तीय **वर्ष** 2025–26 के लिए किया जावेगा।

2 विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ, की कार्यकारी मानक प्रयोगशाला, चांदी की टकसाल, जयपुर के भवन की सफाई योग्य सम्पूर्ण क्षेत्र की सफाई, धुलाई, पौछा, जाले साफ करना, टेबल, आलमारी व खिडकियो से नियमित डस्ट हटाने संबधी समस्त कार्य सम्मिलित है।

3 अनुबंधित फर्म/ठेकेदार को सफाई कार्य अपने मैनपॉवर से प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 7.00 बजे से 09.30 बजे तक पूर्ण करवाना होगा।

4 सफाई कार्य में जो सामान की आवश्यकता होगी, वह विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

5 शौचालयों की लाईन जाम होने पर तुरन्त खुलवा कर ठीक करके चालू स्थिति में रखना होगा। कार्यालय समय में आवश्यकता होने पर सफाई कार्मिका को तुरन्त उपस्थित होना होगा।

6 यदि किसी कार्य दिवस पर ठेकेदार के सफाई कर्मी उपलब्ध नही होते है तो विभाग द्वारा उक्त कार्य किसी संस्था या व्यक्तियों से करवाना पडे तो उसका समस्त व्यय ठेकेदार से वसूल किया जावेगा।

7 ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि कार्यालय सफाई के संबंध में आवश्यक निर्देश प्राप्त करने हेतु संबंधित अधिकारी से सम्पर्क करेगा।

8 सफाई में इकट्ठा होने वाला कचरा ठेकेदार द्वारा डम्पिंग स्थान अर्थात कचरा पात्र में डालने का कार्य किया जावेगा।

9 ठेकेदार मासिक स्वीकृत राशि के आधार पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल प्रस्तुत करेगा। बिल से नियमानुसार टीडीएस की कटोती की जावेगी।

10 ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाये गये कामिकों की आयु 18 वर्ष से कम नही होगी।

11 सफाई कार्य के दौरान यदि कोई कार्मिक की दुर्घटना अथवा नुकसान होगा उसके लिए ठेकेदार ही जिम्मेदार होगा। समुह बीमा आदि की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

12 ठेकेदार द्वारा सभी श्रम नियमों की पालना की जावेगी। इस संबंध में होने वाले किसी भी कमी या गलती के संबंध में कोई भी दण्ड होगा, तो ठेकेदार स्वंय जिम्मेवार होगा।

13 सफाई कार्य पर लगाये जाने वाले कार्मिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार न्यूनतम वेतन का पूर्ण भुगतान करने का दायित्व ठेकेदार का होगा।

14 यदि सफाई कार्मिको को पीएफ/ईएसआई का भुगतान करना होगा तो ठेकेदार उक्त भुगतान स्वंय करेगा तथा जमा का प्रमाण पत्र कोई बकाया नही देना होगा।

15 किसी भी शर्त में संशोधन या निरस्त करने का अधिकार द्वितीय पक्षकार (विभाग) को होगा। कार्य संतोषप्रद नही होने पर 01 माह का नोटिस देकर अनुबंध की सेवाऐं समाप्त की जा सकती है।

16 ठेकेदार को उनके सफाई कार्मिकों का नाम, पता, मोबाईल नम्बर एवं पहचान पत्र इस कार्यालय को देना होगा।

17 समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

18 शर्त या अग्रिम भुगतान की निविदा पर विचार नही होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Soni
Designation : Deputy Director
Date: 2025.03.22 23:06:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14225848

राजस्थान सरकार

उपभोक्ता मामले विभाग

19 ठेकेदार व उसके सफाई कर्मी कार्यालय में शालीनता से व्यवहार करेगे। किसी प्रकार की शिकायत होगी तो गंभीरता से लिया जावेगा तथा ठेका निरस्त करने व आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जावेगा।

20 सफाई कर्मियों द्वारा कार्यालय को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार द्वारा करनी होगी।

21 राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा जारी नियमों/उप नियमों परिपत्रों के अनुसार सफाई कर्मियों को भुगतान करने की जिम्मेवारी ठेकेदार की स्वयं की होगी। इन नियमों द्वारा कार्मिकों को मिलने वाली सभी सुविधाऐं व भुगतान के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा। राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से होने वाली किसी भी कार्यवाही या शास्ती के लिए कार्यालय नही, स्वंय ठेकेदार जिम्मेवार होगा।।

22 ठेकेदार कार्य को किसी अन्य को सबलेट नही करेगा।

(राकेश सोनी)
उप निदेशक (उ.मा.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Soni
Designation : Deputy Director
Date: 2025.03.22 23:06:57 IST
Reason: Approved

जागो ग्राहक जागो

RajKaj Ref No.: 14225848

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

निविदा प्रपत्र

श्रीमान उपनिदेशक,
उपभोक्ता मामले विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषयः—सफाई कार्य हेतु कोटेशन दरे प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय्

हमारी फर्म द्वारा सफाई कार्य हेतु प्रस्तुत दरे व वांछित सूचनाऐ निम्नानुसार हैः—

1. फर्म का नामः'

2. फर्म का पताः—

3. फर्म का पेन नम्बरः—
4. फर्म का जी.एस.टी. पजीयन नं/प्रमाण पत्रः—
5. निविदा शुल्क (200 रूपये):— डी.डी. संख्या/रसीद संख्या दिनांकः—
6. फोन/मोबाइल नम्बर व ई—मेल आई.डी.:—
7. सफाई कार्य की दर प्रति माहः—
8. फर्म का पंजीयन नम्बरः—
9. फर्म कोटेशन सूचना में अंकित बिन्दुओं सहित निविदा (अनुबन्द) की सभी शर्तो को स्वीकार करती है।

हस्ताक्षर
(फर्म/ठेकेदार प्रतिनिधि)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Soni
Designation : Deputy Director
Date: 2025.03.22 23:06:57 IST
Reason: Approved